फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर

प्रभूनारायण वगै0 बनाम **कैलाशचन्द वगै0**

दमा संख्या : 159/2023

ग	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	02.06.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि वाकै ग्राम गुवारडी पटवार हल्का सायपुरा में स्थित में स्थित खातेदारी भूमि गत खसरा नम्बर 120/1 व 120/2 भूमि दर्ज रिकार्ड रही है तथा राजस्व नक्शे में खसरा नम्बर 120 की नक्शा तरमीम रही है तथा एकीकरण से पूर्व 120 खसरा नम्बर के गत खसरा नम्बर 497 व 498 रहे है जो भी तरमीम शुदा रहे है इस प्रकार गत खसरा नम्बर 120/1, 120/2 खसरा नम्बरों को अवधि बंदोस्त 10 मार्च 2008 से 9 मार्च 2008 मे परिवर्तित हाल खसरा नम्बर 347 रकबा 3.58है0 कायम किये गये"। प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि का हाल नक्शा पूर्व व एकीकरण से पूर्व खसरा नम्बर 497 व 498 से बने खसरा नम्बर 120 का नक्शा तरमीम एकीकरण मे कम कर दिया गया व खसरा नम्बर 347 का नक्शा अवधि बंदोस्त 10 मार्च 2008 से 9 मार्च 2028 के समय रकबे से व पूर्व नक्शें से भिन्न तरमीम कर दिया गया है जो गलत है इसलिये उक्त प्रकरण नक्शा दुरूस्त हेतु पेश करना आवश्यक हुआ। ग्राम गुवारडी तहसील जमवारामगढ में स्थित भूमि प्रार्थीगण के हाल खसरा नम्बर 347 रकबा 0.58है0 की नक्शा तरमीम गत खसरा नम्बर 120 व 120 से पूर्व खसरा नम्बर 497 व 498 नम्बर 2 की नक्शा तरमीम को देखते हुए हाल रकबा 0.58है0 मुताबिक रकबा बरारी अनुरूप नक्शा तरमीम कर खसरा नम्बर 347 का नक्शा दुरूस्त किये जाने की कृपा करें। वकील अप्रार्थी सं0 13, 14, 16, 17 ने अपनी बहस में निवेदन किया गया कि प्रार्थीगणों द्वारा जो प्रार्थना पत्र बाबत नक्शा दुरूस्ती इन्द्राज दुरूस्ती पेश किया गया है। वह मुताबिक राजस्व रिकार्ड के काबिले खारिज योग्य है। वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार की कोई दुरूस्ती नही बनती है। अतः वकील उभय पक्षों की बहस का मनन करने एवं पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि तहसीलदार जमवारामगढ ने अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया कि ग्राम गुवारडी के साबिक खसरा नम्बर 497, 498 हाल खसरा नम्बर 347 रकबा 0.58है0 भूमि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी है। उक्त खसरा नम्बरान की सीमा में कोई अन्तर नही है अर्थात एकीकरण व हाल नक्शा समरूप है। खसरा नम्बर 347 की रकबा बरारी में रकबा कम होता है परन्तु नक्शा एकीकरण व हाल नक्शा मे अन्तर नही है। अतः पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थीगणों के प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन करने व बहस का मनन करने पर प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम को मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट के खारिज करना उचित समझते है। अतः प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम को अस्वीकार किया जाता है। निर्णय आज सरे इजलाश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफतर हों।	